निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1944 (श0)
(सं0 पटना 563) पटना, बुधवार, 27 जुलाई 2022

सं0 प्रेस (शाखा) 491/2021–184/सू0ज0स0वि0
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना
25 जुलाई 2022
बिहार पत्र प्रतिनिधि मान्यता (संशोधन) नियमावली–2022

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभः–

(i) यह नियमावली बिहार पत्र–प्रतिनिधि मान्यता (संशोधन) नियमावली–2022 कही जा सकेगी।

(ii) यह समाचार पत्रों, समाचार पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कार्यरत छायाकार, कार्टूनिस्ट प्रतिनिधियों तथा राज्य के मुख्यालय स्थित पत्र–प्रतिनिधियों/मुफस्सिल संवाददाताओं/छायाकारों/लघु समाचार पत्रों के संपादकों को मान्यता प्रदान करने हेतु लागू होगी।

(iii) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

"बिहार पत्र प्रतिनिधि मान्यता नियमावली– 2008" के नियम–3 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

उक्त समिति की कार्यावधि अधिकतम एक वर्ष की होगी तथा किसी भी मीडिया सदस्य को पुनः मनोनीत किया जा सकेगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी नामित मीडिया प्रतिनिधि सदस्य को नियत कार्यकाल अवधि (एक वर्ष) के भीतर हटाया जा सकेगा अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य को नामित किया जा सकेगा यदिः–

(क) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य पर अनैतिक या असामाजिक या आपराधिक कार्यों में संलग्न रहने का आरोप सिद्ध हो।

(ख) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य के किसी अपराध के लिये सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर।

(ग) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाईडलाइन के विरूद्ध या झूठे एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन कराना प्रमाणित होने पर।

(घ) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य पागल/कार्य करने में असक्षम या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो।

(ड़) मीडिया प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य भारत का नागरिक न हो अथवा भारतीय नागरिकता का परित्याग कर चुका हो।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनुपम कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 563-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in